Witness No……....................**02**..,for–............**अभियोजन**................,

Deposition taken on the ...**04.12.2023**........,day of - witness's apparent age –.....**28**....**वर्ष**

States affirmation on oath......**शपथपूर्वक**.......... my name is –...............**श्री गुरूदेव सिंह**....

D/W/S of – ....**स्व0 श्री सुदर्शन सिंह**.........occupation–..................**मजदूरी**..........................

Address – ....**वार्ड 04, दल्ली राजहरा, थाना दल्ली राजहरा, जिला बालोद, छ0ग0**.......

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 04:15 बजे।

01. गिरफ्तारी पत्रक में चस्पा आरोपिया नेमिन बाई का फोटो दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी ने उसे पहचानने से इनकार किया। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व मै मनोज गुप्ता के साथ उसके मोहल्ले में सुअर खत्म हो जाने की सूचना देने नगर पालिका कार्या0 दल्ली राजहरा गया था वहीं कुछ पुलिस वाले आकर मुझसे कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करने को कहा तो मैने कर दिया। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वालों के कहने पर मैने धारा 160 द.प्र.स. की नोटिस प्रपी 01, मुखबिर पंचनामा प्रपी 02, तलाशी वारण्ट प्राप्त न होने बाबत पंचनामा प्रपी 03, व्यक्ति समान की तलाशी हेतु नोटिस प्रपी 04, तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाह का प्रपी 05, मकान व्यक्ति की तलाशी प्रपी 06, तलाशी पंचनामा प्रपी 07, बरामदगी पंचनामा प्रपी 08, समान पहचान पंचनामा प्रपी 09, जप्ती पत्रक प्रपी 10, समान नमूनशील पंचनामा प्रपी 11, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 12 एवं नजरी नक्शा प्रपी 13 के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

टीप– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने हेतु अनुमति चाही गई। विचार उपरांत अनुमति प्रदान की गई

02. यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मुझे आरोपिया नेमिन बाई साहू द्वारा अपने होटल के सामने एक थैला में अधिक मात्रा में शराब रखने की सूचना देकर कार्यवाही में सहयोग देने हेतु नोटिस दिए थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपिया के कब्जे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के थैला जिसमें 40 पाव देशी प्लेन शराब तथा बिक्री की नगदी रकम 500/–रू. जप्त किए थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष प्रपी 01 से प्रपी 13

तक की संपूर्ण कार्यवाही तैयार किए थे। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी 15 के अ से अ भाग आज दिनांक 05.07.2022.....जिसमें मैने हस्ताक्षर किया है को पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने ऐसा कथन कहने से इनकार किया। मै कक्षा 6 वी तक पढ़ा हूं। यह कहना सही है कि किसी भी दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के पूर्व उसे पढ़कर देखना आवश्यक होता है। यह कहना गलत है कि आरोपी को बचाने के लिए मै आज गलत कथन कह रहा हूं।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री आर0एम0 अग्रवाल, वास्ते आरोपी //

03. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 04:25 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया। गवाह का हस्ताक्षर मेरे निर्देशन में टंकित

(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.

(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.